न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 274/2021

1. दलीप सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। **—वादी**

बनाम

1. मदनलाल उर्फ मधुपाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा। **—प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 53 बाबत खाता विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता **—वादी**
2. श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता **—प्रतिवादी सं. 1, 2**
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा **—प्रतिवादी सं. 3**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 08/02/2022

वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम सांझा खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के खाता सं. 39/33 के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 है., प.नं. 31/368 (53) किला नं. 5 की 0.253 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19/2, 20, 21 की 2.150 है. कुल 6.198 है. नाली द्वितीय नहरी खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड वाके है।

वादपत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि सांझा खाता की कृषि भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 के मध्य अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी व काश्त की सहूलियत के हिसाब से घरू बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बरू बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। घरू बंटवारा निम्नानुसार है —

वादी दलीप सिंह को प्राप्त भूमि — तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है., प.नं. 31/368 (53) किला नं. 5 की 0.253 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 1, 2 की 0.506 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय खातेदारी।

प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल उर्फ मधुपाल को प्राप्त भूमि — तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 की 1.265 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 9, 10, 12 की 0.759 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय नहरी खातेदारी।

प्रतिवादी सं. 2 सुरेन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि — तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय नहरी खातेदारी।

वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 को संयुक्त रूप से प्राप्त भूमि — तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 32/368 (52) किला नं. 19/2 की कुल 0.126 है. नहरी...

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 अपना अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे — वादपत्र की दफा 3 की उपदफा क लगायत घ अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 03.12.2021 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना

08.02.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:21 IST
Reason: SelfAttested

की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है व रकम राज अलग कायम की जाती है :–

वादी दलीप सिंह को प्राप्त भूमि – तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 है., प.नं. 31/368 (53) किला नं. 5 की 0.253 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 1, 2 की 0.506 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय खातेदारी।

प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल उर्फ मधुपाल को प्राप्त भूमि – तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 की 1.265 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 9, 10, 12 की 0.759 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय नहरी खातेदारी।

प्रतिवादी सं. 2 सुरेन्द्र सिंह को प्राप्त भूमि – तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प. नं. 31/367 (44) किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 की 1.265 है., प.नं. 32/368 (52) किला नं. 11, 20, 21 की 0.759 है. कुल तादादी 2.024 है. नाली द्वितीय नहरी खातेदारी।

वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 को संयुक्त रूप से प्राप्त भूमि – तहसील पीलीबंगा के चक 7 बीआरपी के प.नं. 32/368 (52) किला नं. 19/2 की कुल 0.126 है. नहरी खातेदारी।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

08.02.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:21 IST
Reason: SelfAttested